P001

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी. सिविल याचिका सख्या 605/18 कानसिंह बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2018 के क्रम में याचिकार्थी श्री कानसिंह, प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय हरजी (आहोर) जालोर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक (मावि) भर्ती परीक्षा, 2012 में रिजर्व लिस्ट से चयनित उपरान्त याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में प्रदत्त निर्देशों का हवाला देकर प्रधानाध्यापक (मावि) के पद पर उक्त परीक्षा के तहत चयनित एवं नियुक्त कार्मिकों के अनुरूप वरिष्ठता व अन्य परिलाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.01.2018 द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का एस.बी.सिविल याचिका सख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करने के निर्देश जारी किये गये। सन्दर्भित निर्णय एक ही मेधा सूची में चयनित एवं याचिकार्थी से कनिष्ठ वरीयता के अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्व में हो जाने के कारण विलम्ब से नियुक्ति पाने वाले वरिष्ठ अभ्यर्थी (याचिकार्थी) को कनिष्ठ अभ्यर्थी के समान काल्पनिक लाभ देने के सम्बन्ध में है। हस्तगत प्रकरण में आरक्षित सूची से नियुक्त अभ्यर्थी ने मुख्य सूची के अभ्यर्थी से तुलना कर उसके समान परिलाभ की मांग की है जिसमें सन्दर्भित याचिका सख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में प्रदत्त न्यायिक निर्णय अनुरूप कनिष्ठ अभ्यर्थी से तुलना नही है।

याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अभिलेखानुसार गहन मनन एवं परीक्षण किया गया। याचिकार्थी श्री कानसिंह ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सीधी भर्ती से प्रधानाध्यापक (मा.वि.) के पद पर आरक्षित सूची से मेरिट क्रमांक आर–25 के अनुसार चयनोपरांत विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2017 द्वारा नियुक्ति पर 29.12.2017 को कार्यग्रहण किया गया। चूंकि याचिकार्थी की नियुक्ति मूल सूची के आधार पर न होकर आरक्षित सूची की अभिस्तावना के आधार पर विभाग द्वारा की गई है, अतः याचिकार्थी का प्रकरण याचिका सख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय से कवर नही पाये जाने के कारण याचिकार्थी को सेवा से सम्बन्धित समस्त परिलाभ स्वीकृत किया जाना नियमान्तर्गत नहीं होने के आधार पर अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/कोके/बी–III/या0–605/कानसिंह/18/08 दिनांकः– 24.01.2019

प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूंटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री कानसिंह, प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय हरजी (आहोर) जालोर (रजिस्टर्ड)
11. निजी पजिका/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)